शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग का कोई अभ्यावेदन राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा से प्राप्त नहीं हुआ है जबकि इस संगठन से दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण में अनियमितताओं के आरोप का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण को पुनः सुव्यवस्थित करने का निर्णय लिया गया है तथा इसके कार्यों को अधिक निष्पक्ष और सुस्पष्ट बनाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की लोक शिकायत मशीनरी को पुनः नया बनाने; सुदृढ करने तथा आधुनिकृत करने के भी उपाय किए गए हैं ।

फ्लोर कवरेज एरिया का दुरुपयोग

709. **श्री श्यामनन्द सहाय** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फ्लोर कवरेज एरिया अनुपात को बदलने संबंधी प्रावधान के दुरुपयोग किए जाने की शिकायतों पर कोई कार्यवाही की है ; जैसा कि 2 अगस्त 1991 के समाचार मेल में समाचार छपा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) प्रावधानों के ऐसे दुरुपयोग वाले मामलों की जांच के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) विशिष्ट शिकायतों की जांच पडताल की गई है तथा इसके ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(i) न्यू टाउन को-आपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी

सोसाइटी को रोहिणी के सैक्टर 14 में प्लाट सं० 3 आवंटित किया गया था जो किसी भी स्तर पर मनोरंजनात्मक भूमि नहीं थी तथा यह इस क्षेत्र के अनुमोदित विन्यास नक्शे का एक भाग है । दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा 26-4-88 को यह नक्शा अनुमोदित किया गया था । इसके अतिरिक्त, दिल्ली नगर कला आयोग ने 15-12-89 को विशिष्ट ग्रुप हाउसिंग विन्यास नक्शा तथा इस समिति का भवन नक्शा अनुमोदित किया था और उसके पश्चात् 18.40% के ग्राउन्ड कवरेज और 174.93 के पर्शी क्षेत्र अनुपात के साथ इसें 26-2-90 को रिलीज किया गया था ।

(ii) पहाड़ी धीरज को-आपरेटिव सोसाइटी

पहाड़ी धीरज को-आपरेटिव सोसायटी के मामले में कोई अतिरिक्त फ्लोर एरिया कवरेज की अनुमति नहीं दी गई थी । इसके अतिरिक्त, पट्टाकर्ता की अनुमति के बिना पर्शी क्षेत्र अनुपात को नहीं बदला जा सकता है और इस सामूहिक आवास समिति के संबंध में फ्लोर एरिया कवरेज अनुपात में परिवर्तन करने की अनुमति दी गई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

झुग्गी झोपड़ी निवासियों का पुनर्वास

710. **श्री श्यामनन्द सहाय** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 1989 की तुलना में दिल्ली में झुग्गियों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए उनमें निवास करने वाले लोगों के पुनर्वास का विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो वह ऐसा किस तरह करने जा रही है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) झुग्गी-झोंपड़ी समूहों की समस्याओं से निपटने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा निम्नलिखित त्रिआयामी नीति पहले से ही बनाई जा चुकी है और 1990 से यह कार्यान्वित की जा रही है :—

(i) तात्कालिक परियोजनाओं के लिए तुरन्त अपेक्षित भूमि से झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों का पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास ;

(ii) सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए उद्दिष्ट भूमि, परन्तु परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जिसकी तुरन्त आवश्यकता नहीं है, पर बसे झुग्गी-झोंपड़ी समूहों में न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था ; और

(iii) ऐसी सार्वजनिक भूमि, जो भविष्य में किसी परियोजना के लिए उद्दिष्ट नहीं है और जिसकी निकट भविष्य में कोई आवश्यकता नहीं है, पर स्थित चिन्हांकित किए गए झुग्गी-झोंपड़ी समूहों का उसी स्थान पर उन्नयन ।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के अधिकारियों को सरकारी आवास का आवंटन

711. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संपदा निदेशालय ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में कार्यरत अधिकारियों को आवास आवंटित किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को आवास आवंटित किए गए और उनका श्रेणीवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पी० एंड टी० के लिए अलग पूल होने के बावजूद संपदा निदेशालय से उन्हें आवास आवंटन करने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में न्यूनतम वेतन का निर्धारण

712. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्तमान मूल्य सूचकांक के आधार पर दिल्ली में न्यूनतम वेतन पुनः निर्धारित करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन मजदूरी की निम्नतम दरों को निर्धारित/संशोधित करने के लिए उपयुक्त सरकार है । दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में, मजदूरी की निम्नतम दरें 1.5.89 से निर्धारित संशोधित की गई थीं और मजदूरी की निम्नतम दरों का अगला निर्धारण/संशोधन 1992 के दौरान होना है । तथापि, मूल्य वृद्धि को निष्प्रभावी करने के लिए वर्ष में दो बार परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जा रहा है, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर फरवरी और अगस्त महीनों में घोषित किया जाता है।